न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/189** दायर दिनांक **14.07.2017**

वादी		प्रतिवादी
1. मोहम्मद हुसैन पुत्र उमर फारूक, उम्र–30साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शैरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
U/S 88 R.T. Act. एवं धारा 136 R.L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनांक **03.08.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, शरहद डाबगाँव पटवार हल्का लौरोली कलाँ में खसरा नम्बर 160 रकबा 14.12 बीघा वादी का खेत अवस्थित है।

वादी के पक्ष में एक रजिस्टर्ड बैचाण दिनांक 30.03.1988 को हुआ था जब वादी मात्र दो वर्ष का था। उस समय वादी का नाम मोहम्मद मनजूर हसन खाँ था। राजस्व रिकॉर्ड में मोहम्मद मनजूर हसन हो गया तथा अब वादी को केवल मोहम्मद हुसैन के नाम से ही सभी दस्तावेज बन चुके हैं। इसलिए वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में मोहम्मद हुसैन करवाना चाहता है तथा वादी के खेत खसरा नम्बर 160 में वादी का नाम मोहम्मद मनजूर हसन खाँ की जगह मोहम्मद हुसैन करवाना चाहता है। वादी का नाम राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक व पासपोर्ट सभी दस्तावेजों में मोहम्मद हुसैन पुत्र उमर फारूक ही दर्ज है। खसरा नम्बर की खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद साथ प्रस्तुत है।

हाल ही में जब वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि पर ऋण के लिए आवेदन किया तो खतौनी में नाम अलग व रजिस्टर्ड बैचाण में नाम अलग व बाकी पहचान के दस्तावेजों में नाम अलग होने के कारण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए वादी को रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी आया है।

बिनाया दावा दिनांक 13.07.2017 को ऋण लेने हेतु बैंक में जाने पर बैंक द्वारा राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में नाम में विरोधाभाष होने के कारण एवं दिनांक 13.07.2017 को खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादी है कि–

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मोहम्मद मनजूर हसन खाँ की जगह मोहम्मद हुसैन दुरस्त किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 242/201 खसरा नम्बर 160 की प्रमाणित प्रतिलिपि, विक्रय–पत्र हक खातेदारी की छायाप्रति, आधार कार्ड संख्या 3080 6999 6005 की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड संख्या 235 ग्राम पंचायत शेरानी आबाद, सरपंच ग्राम पंचायत शेरानीआबाद का पंत्रांक: Spl दिनांक 12.06.2017 के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, पासपॉर्ट नम्बर G 2500337 व श्री शेर मोहम्मद शेरानी सदस्य पंचायत समिति डीडवाना द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, पत्रावली के सलग्न पेश है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

अधिवक्ता वादी, वाद को डिक्री किए जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं।

वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से वादी का सही नाम "मोहम्मद हुसैन पुत्र उमर फारूक" होना पुष्ट होता है। वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया होने से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017 / 189
दायर दिनांक 14.07.2017, निर्णय दिनांक 03.08.2017
मोहम्मद हुसैन बनाम् तहसीलदार।

अतः वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 160 रकबा 12.14 बीघा में वादी का नाम वर्तमान में अंकन "मोहम्मद मंजूर हसन खाँ पुत्र उमर फारूक खाँ" के स्थान पर "मोहम्मद हुसैन पुत्र उमर फारूक" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 03.08.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकददमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

दायर दिनांक 14.07.2017

राजस्व वाद संख्याः 2017/189

वादी		प्रतिवादी
1. मोहम्मद हुसैन पुत्र उमर फारूक, उम्र–30साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शैरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
U/S 88 R.T. Act. एवं धारा 136 R.L.R. Act.

दिनांक 03.08.2017

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 160 रकबा 12.14 बीघा में वादी का नाम वर्तमान में अंकन "मोहम्मद मंजूर हसन खाँ पुत्र उमर फारूक खाँ" के स्थान पर "मोहम्मद हुसैन पुत्र उमर फारूक" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 03.08.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner